

प्रधान महालेखाकार (ले०&ह०) का

कार्यालय

वीरचंद पटेल पथ,

पटना, बिहार - 800001



OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

Letter No.: Legal Cell (2025-26)- 139

Date: 13/10/2025

परिपत्र/ CIRCULAR

कृपया मुख्यालय के निर्देशों का संदर्भ लें जिसमें सूचित गया है कि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (मानव संसाधन) [अर्थात् उप सीएजी (एचआर) या डीएआई (एचआर)] भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों से संबंधित सेवा/पात्रता मामलों की देखरेख और सामान्य निर्णय लेने में नामित सक्षम प्राधिकारी हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत के सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकारी होने से इन मामलों में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रखते हैं।

Reference is invited to the Headquarters instructions wherein it is informed that the Deputy Comptroller & Auditor General (Human Resources) [i.e. Dy. CAG (HR) or DAI (HR)] is the designated competent authority in the usual decision-making and overseeing the service/ entitlement matters concerning the IA & AD employees. It is hereby clarified that the C & AG of India being a constitutional authority does not have any direct role in these matters.

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारी प्रायः अपनी सेवा/पात्रता के मामलों में भारत के सीएजी को भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी/प्रतिवादी/डिफेंडेंट के रूप में प्रस्तुत करके ओ.ए. और रिट याचिका आदि दायर कर रहे हैं, हालांकि भारत के सीएजी की स्वतंत्रता की गारंटी भारत के संविधान के तहत दी गई है। चूंकि, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा/पात्रता के मामले में नीति कार्यान्वयन के निर्णय उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (मानव संसाधन) और निम्न रैंक वाले प्राधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक किसी भी मुकदमे में भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त पक्ष नहीं हैं। जिस तरह से भारत सरकार के किसी मंत्रालय में सचिव सभी सेवा संबंधित मुकदमों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होते हैं ठीक उसी तरह से सीएजी कार्यालय के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन) सेवाओं से संबंधित सभी मुकदमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

Very often, the IA & AD employees are filing O.A. and Writ Petition, etc. in their service/ entitlement issues by routinely arraying the C & AG of India as the principal Opposite Party/ Respondent/ Defendant to represent the Union of India, although the independence of the C & AG of India is guaranteed under the Constitution of India. Since the decisions of policy implementation in the service/ entitlement matter of the IA & AD employees is taken by the Dy. CAG (HR) and the below ranked authorities, the C & AG of India is not the appropriate party to represent the Union of India in any litigation. The Dy. CAG (HR) being equivalent in rank of the "Secretary" of a Ministry under the Union of India is an appropriate authority to represent the Union of India so also the C & AG of India in all service related litigations.

अतः इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यायालय में अपनी सेवा/पात्रता संबंधी

मुकदमों में पक्षकार बनाने/प्रतिवादी बनाने से बचें।

Therefore, all employees of this office are hereby instructed to refrain from arraying / impleading the C & AG of India as a party in their service / entitlement litigations in the court of law.

Digitally signed by

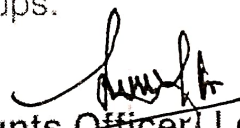
Omnkar

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)
Date: 10-10-2025

Sr. Deputy Accountant General (Admin)
18.24.57

Copy forwarded for information and necessary action to

1. Secretary to the PAG (A & E), Bihar, Patna.
2. Sr. Dy. Accountant General (Admn & GE) Secretariat.
3. Sr. Dy. Accountant General (Pen & Fund) Secretariat.
4. Dy. Accountant General (A/Cs, VLC & Works) Secretariat.
5. Sr. AO-Admin-I/ T.M/ Pen-1/ W.M-1/ C.C / GERC & ITS for uploading on office website.
6. Notice Board/Internet Social Networking groups.


Sr. Accounts Officer/ Legal Cell